

201



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/1590/2025

दिनांक-26.06.2025
(अन्तिम-पत्र)

कार्यालय-ज्ञाप

सत्र 2025-26 में अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त किये जाने हेतु ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा समयान्तर्गत शुल्क जमा नहीं किया गया है अथवा निर्धारित तिथि 15 जून, 2025 के उपरान्त शुल्क जमा किया गया है पर निर्णय लिये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.06.2025 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक (प्रति विषय/पाठ्यक्रम) एवं विधि महाविद्यालय को सत्र 2025-26 में सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त किये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्धारित सम्बद्धता शुल्क+जी0एसी0टी0 रू0 29,500/- एवं दण्ड स्वरूप रू0 25,000/- प्रति विषय/पाठ्यक्रम दिनांक 05.07.2025 तक जमा कर पत्रावली प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेंगे। उक्त समय अवधि के उपरान्त भी यदि शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो यह मानते हुये कि महाविद्यालय प्रबन्धन का कालेज संचालन में कोई रुचि नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों का सत्र 2025-26 शून्य घोषित कर सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा तथा सेशन शून्य घोषित किये गये महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।

Scen

COE

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अजय मिश्रा

पी.सी.एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
- ✓ 4. परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
6. प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

Mail to Agency

31/7/25

अजय मिश्रा

पी.सी.एस.

कुलसचिव